(भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड-3, उप खंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 52 /2025-26
दिनांकः 31 दिसंबर, 2025

विषयः प्राकृतिक शहद के निर्यात पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) की वैधता बढाने हेतु संशोधन के संबंध में।

सा. आ. (अ.): समय-समय पर यथा संशोधित, विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व अधिसूचना सं. 27/2025-26 दिनांक 22.08.2025 में संशोधन के संबंध में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा अनुसूची-II (निर्यात नीति) के आइटीसी (एचएस) कोड 04090000 के अंतर्गत प्राकृतिक शहद की मौजूदा न्यूनतम निर्यात मूल्य की शर्त की वैधता को तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार विस्तारित करती है:-

प्रशुल्क मद एचएस कोड	मद विवरण	निर्यात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
04090000	प्राकृतिक शहद	मुक्त	31 दिसंबर, 2025 तक एफ.ओ.बी. प्रति मीट्रिक टन 1400 अमेरिकी डॉलर के न्युनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के अधीन	**31 मार्च 2026 तक** एफ.ओ.बी. प्रति मीट्रिक टन 1400 अमेरिकी डॉलर के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के अधीन

2. **इस अधिसूचना का प्रभावः**

प्राकृतिक शहद (आइटीसी एचएस कोड 04090000 के तहत निर्यातित) पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) 31 मार्च 2026 तक तत्काल प्रभाव से एफओबी प्रति मीट्रिक टन 1400 अमेरिकी डॉलर पर बना रहेगा।

(अजय भादू)
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
और महानिदेशक विदेश व्यापार
ई-मेलः dgft@nic.in

(फा.सं. 01/91/180/879/एएम08/ईसी/खंड 8/पार्ट फाइल/ई-38272 से जारी)